बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

सं०—एम—04—03 / 2021......8550......वि० पटना, दिनांक 07-08-2024

राज्य में वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों / उद्यम को प्राथमिकता हेतु बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम—131 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न नीति गठित करती है ।

अध्याय 1 — प्रारंभिक

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	
		(1) इस नीति को बिहार खरीद अधिमानता नीति, 2024 कहा जाएगा। (2) यह पूरे बिहार राज्य में प्रवृत्त होगा। (3) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू होगा।
2.	उद्देश्य	
		इस नीति के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे : (1) बिहार राज्य में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों / उद्यमों की वृद्धि में सहयोग करना और राज्य के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करना, (2) बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) और स्टार्ट—अप इकाइयों पर विशेष ध्यान के साथ क्रेता इकाईओं (प्रोक्योरमेंट एंटिटी) द्वारा की जाने वाली खरीद में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों / उद्यमों की भागीदारी बढ़ाना, और (3) बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम.एस.ई.) और स्टार्ट—अप इकाइयों पर विशेष ध्यान के साथ स्थानीय औद्योगिक इकाइयों / उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करना।
3.	परिभाषाएं	(1) "बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (बी.एम.एस.ई.)" का आशय एक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से है जिसकी बिहार के प्रादेशिक अधिकार—क्षेत्र में अपनी उत्पादन सुविधाएं मौजूद हों, जिसके पास वैध उद्यम निबंधन हो और जो स्थानीय सामग्री संबंधी न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करता हो। (2) "परामर्श सेवाओं" में बहुत सारी सेवाएं शामिल हैं जो सलाह या पेशेवर प्रकृति की हों और परामर्शदाताओं द्वारा दी जाती हों। आम तौर पर इन सेवाओं में निपुण या रणनीतिक सलाह देना, जैसे कि प्रबंधकीय परामर्श, नीतिगत परामर्श या संवादमूलक परामर्श देना शामिल है। सलाहमूलक और परियोजना से संबंधित परामर्श सेवाओं के उदाहरण संभाव्यता अध्ययन, परियोजना प्रबंधन अभियंत्रण सेवाएं, वास्तुकला सेवाएं, वित्तीय लेखाकरण एवं कराधान सेवाएं, प्रशिक्षण एवं विकास आदि हैं। इसमें ऐसे लघु निर्माण कार्य या वस्तुओं की आपूर्ति अथवा अन्य सेवाएं शामिल हैं जो ऐसी सेवाओं

के साथ अभिन्न हों या उनकी आनुषंगिक हों बशर्ते कि उन कार्यों या वस्तुओं अथवा दोनों का मूल्य खुद परामर्श सेवाओं के मूल्य से अधिक नहीं हो।

(3) "औद्योगिक इकाइयों/उद्यमों" का, जिनका उल्लेख इसके बाद 'उद्यम' के रूप में किया जाएगा, वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (देखें धारा 2 (ई)), समय–समय यथा संशोधित,में परिभाषित है।

(4) "वस्तुओं" का आशय बिहार वित्त नियमावली, 2005 के नियम 125, समय–समय पर यथा संशोधित, के अनुसार होने वाली सभी वस्तुओं से है और इनमें वस्तुओं की आपूर्ति से अभिन्न सेवाएं तथा निर्माण कार्य भी शामिल हैं बशर्ते कि उन कार्यों या वस्तुओं अथवा दोनों का मूल्य खुद उन वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं हो।

(5) "एल1" का अर्थ है किसी निविदा, बोली प्रक्रिया या अन्य खरीद निवेदन में प्राप्त न्यूनतम निविदा या न्यूनतम बोली या न्यूनतम उद्धृत कीमत, जैसा कि निविदा या अन्य खरीद निवेदन के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया में निर्धारित किया गया हो।

(6) "स्थानीय सामग्री" (लोकल कंटेंट) का आशय बिहार में मूल्यवर्धित राशि से है जो इस नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं होने पर (निवल घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) खरीदी गई सामग्रियों के कुल मूल्य में से कुल मूल्य के अनुपात में प्रतिशत में बिहार के बाहर से खरीदी गई सामग्रियों का मूल्य घटाने के बाद शेष राशि होगी।

(7) "स्थानीय औद्योगिक इकाई/उद्यम" इसके बाद "स्थानीय उद्यम" के रूप में वर्णित, का आशय ऐसे उद्यम से है जिसके द्वारा खरीदने के लिए पेश की गई वस्तुएं या सेवाएं इस नीति के तहत निर्धारित न्यूनतम स्थानीय सामग्री या अन्य संबंधित मापदंडों को पूरा करती हों। इसमें कंडिका (क्लॉज) 9 में परिभाषित "विशेष श्रेणी के उद्यम" भी शामिल होंगे।

(8) "खरीद अधिमानता की अन्तर" का अर्थ वह अधिकतम सीमा है जहां तक किसी "स्थानीय उद्यम" द्वारा उद्धृत कीमत खरीद अधिमानता के उद्देश्य से 'एल1' से अधिक हो सकती है।

(9) "सूक्ष्म उद्यम" का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 एवं समय–समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित है।

(10) "नोडल विभाग" का अर्थ इस नीति का अनुसरण करने के लिए चिह्नित विभाग से है, जो विभिन्न श्रेणियों (जैसे कि वस्तुओं या सेवाओं) की खरीद के लिए, जिनके लिए राज्य में पर्याप्त क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा मौजूद है, खरीद अधिमानता के उद्देश्य से क्रय की विषय–वस्तु को अधिसूचित करेगा। "उद्योग विभाग" वस्तुओं की खरीद के लिए नोडल विभाग है और सेवाओं की खरीद के लिए संबंधित प्रशासी विभाग नोडल विभाग होंगे।

(11) "गैर–स्थानीय औद्योगिक इकाई/उद्यम" (इसके बाद से "गैर–स्थानीय उद्यम" के रूप में वर्णित) का अर्थ ऐसा उद्यम है

		जिसके द्वारा खरीद के लिए पेश की गई वस्तुओं या सेवाओं में स्थानीय सामग्री (कंटेंट) इस नीति के तहत स्थानीय उद्यम के लिए निर्धारित सामग्री से कम है। (12) ''अन्य सेवाओं'' (कुछ मामलों में 'गैर परामर्शी सेवाएं' शब्द सहित) को अपवर्जन के बतौर उन सेवाओं के लिए परिभाषित किया गया है जिन्हें परामर्शी सेवाओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अन्य सेवाओं में वैसे नियमित पुनरावर्ती भौतिक या प्रक्रियागत अबौद्धिक परिणाम शामिल हैं जिनके लिए परिमाण और निष्पादन संबंधी मानदंड ठोस ढंग से चिह्नित किए जा सकते हैं और उनको लगातार उपयोग में लाया जा सकता है तथा उनके आधार पर बोली लगाई और संविदा प्राप्त की जा सकती है। इसमें ऐसे लघु निर्माण कार्य या वस्तुओं की आपूर्ति अथवा परामर्श सेवाएं शामिल हैं जो ऐसी सेवाओं से अभिन्न हों या उनकी आनुषंगिक हों बशर्ते कि उन लघु निर्माण कार्यों या वस्तुओं अथवा परामर्श सेवाओं का मूल्य या इन सभी का संयुक्त मूल्य खुद अन्य सेवाओं के मूल्य से अधिक नहीं हो। अन्य सेवाओं में परिवहन सेवाएं; लॉजिस्टिक्स; कैरिंग एण्ड फॉरवर्डिंग (सी एंड एफ सर्विसेज), कोरियर सेवाएं; कार्यालय/भवनों/प्रांगणों आदि का साज–संभाल और रख–रखाव (सिविल और विद्युत संबंधी कार्यों से भिन्न); ड्रिलिंग; एरियल/ड्रोन फोटोग्राफी; उपग्रह से चित्र खींचना; मानचित्रण और ऐसे अन्य निर्माण कार्य आदि शामिल हो सकते हैं। (13) ''क्रेता ईकाई'' : इस नीति के उद्देश्य से ''क्रेता ईकाई'' (प्रोक्योरिंग एंटिटी) का अर्थ है – (क) राज्य सरकार का कोई विभाग या उससे संबंधित अथवा अधीनस्थ कार्यालय; (ख) भारतीय संविधान द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय जिसके व्यय का वहन राज्य की संचित निधि से किया जाता है; (ग) राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित कोई निकाय या पर्षद या निगम अथवा सार्वजनिक उपक्रम या प्राधिकार अथवा इकाई या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे जिस नाम से जाना जाय) अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित एवं नियंत्रित या वित्त पोषित कोई निकाय; (घ) कोई अन्य निकाय जिसको राज्य सरकार इस नीति के उद्देश्य से अधिसूचना के द्वारा क्रेता इकाई के रूप में निर्दिष्ट करे, जो निकाय होने के नाते राज्य सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करता है और उस हद तक ऐसी सहायता का उपयोग संबंधित खरीद के लिए करता हो। (14) ''सेवा'' का आशय वस्तुओं या निर्माण कार्य से भिन्न किसी खरीद की विषय–वस्तु से है और उसमें भौतिक, अनुरक्षण, पेशेवर, बौद्धिक, परामर्श और सलाह संबंधी सेवाएं या किसी क्रेता इकाई द्वारा इस रूप में वर्गीकृत या घोषित कोई अन्य सेवा शामिल है और जिसमें किसी क्रेता इकाई द्वारा की गई किसी व्यक्ति की नियुक्ति शामिल नहीं है।

		(15) ''लघु उद्यम'' का वही अर्थ होगा जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 एवं समय–समय पर यथा संशोधित, में परिभाषित है। (16) विशेष कोटि के उद्यम का अभिप्राय बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा ''उद्यम'' निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई सहित स्टार्ट अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 यथा समय–समय पर संशोधित, में परिभाषित है) से है।
4.	अनुप्रयोज्यता	
		(1) यह नीति नीचे दिये गये उप–कंडिका (2), (3) और (4) के अंतर्गत दी जाने वाली छूटों के अधीन सभी क्रेता इकाईओं पर लागू होती है। (2) बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं में, ऐसी परियोजनाओं के शर्त्तों में तय क्रय प्रक्रियाएं बिहार वित्त नियमावली के नियम 30 (xviii), समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा अनुशासित होंगी। (3) बशर्ते कि अनुमति देने के पहले वित्त विभाग खुद को संतुष्ट कर लेगा कि ऐसी सहायता या समझौता के शर्त्तों में निर्धारित क्रय की प्रक्रिया ''क्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और मनमानी की समाप्ति'' तथा ''सार्वजनिक क्रय प्रणाली में कुशलता, मितव्ययिता और उत्तरदायित्व'' के साथ संगतिपूर्ण है। (देखें समय–समय पर संशोधित बिहार वित्त नियमावली, 2005 का नियम 131आर और 131एस)। (4) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी की जाने वाली ऐसी अधिसूचनाओं के अध्यधीन, इस नीति के अध्याय 2 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे : (क) कोई ऐसी खरीद जिसमें उसका अनुमानित व्यय या मूल्य वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना के जरिए खरीद या क्रेता इकाईओं के विभिन्न वर्गों अथवा श्रेणियों के लिए निर्धारित किए जाने वाले मूल्य सीमा से कम हो; (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का केंद्रीय अधिनियम सं. 53) की धारा 2 के कंडिका (डी) में परिभाषित किसी आपदा के प्रबंधन के लिए आवश्यक आपात खरीद; (ग) संसदीय, विधान सभा, पंचायत और स्थानीय निकाय के चुनावों के तहत आकस्मिक खरीद; (घ) उप–कंडिका (3)(13) के तहत वर्णित किसी क्रेता इकाई द्वारा अपनी आनुषंगिक कंपनी या संयुक्त उपक्रम कंपनी से खरीद, जिसमें उस क्रेता इकाई का पचास प्रतिशत से अधिक हिस्सा हो; (ड़) उचित रूप से अधिसूचित विभिन्न श्रेणियों के लिए खरीद की विषय–वस्तु को नोडल विभाग द्वारा इस नीति के प्रावधानों से छूट दी गई है (अपर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा के कारण); और (च) कोई अन्य खरीद जैसा कि वित्त विभाग द्वारा अधिसूचित किया जाय।

अध्याय 2 –खरीद अधिमानता

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण
5.	खरीद की श्रेणियां	
		इस नीति के तहत खरीद की निम्नलिखित श्रेणियां शामिल होंगी : (क) वस्तुएं (ख) सेवाएं (परामर्श सेवाएं, गैर–परामर्श सेवाएं और अन्य सेवाएं)
6.	"स्थानीय उद्यम" के लिए न्यूनतम स्थानीय सामग्री और अन्य संबंधित मापदंड	
		(1) वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित खरीद के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम आवश्यकता 30 प्रतिशत है। (2) "वस्तुओं" से संबंधित खरीद के लिए – स्थानीय उद्यम बिहार राज्य में निबंधित इकाई होगा और बिहार राज्य में उसकी उत्पादन सुविधा अवस्थित होगी। (3) "सेवा" से संबंधित खरीद के लिए – स्थानीय उद्यम बिहार राज्य में निबंधित संस्था/इकाई होगी। वह संस्था/इकाई राज्य में निविदा प्रकाशन की तिथि से कम से कम एक वर्ष पूर्व से काम कर रही होगी। उसे गत एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विवरणी दाखिल करने वाला एवं जीएसटी भुगतान करने वाला होना चाहिए और निविदा प्रकाशन की तिथि के पूर्व तक उसके द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत सृजित कुल रोजगार के मामले में न्यूनतम 50 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होने चाहिए।
7.	खरीद अधिमानता (सामान्य)	
		(1) क्रेता इकाईओं द्वारा की जाने वाली खरीद में "स्थानीय उद्यम" को इन नीतियों में वर्णित तरीकों से खरीद अधिमानता दी जाएगी। (2) उन वस्तुओं और सेवाओं के खरीद के संबंध में जिनमें नोडल विभाग ने संसूचित किया हो कि उनकी पर्याप्त स्थानीय क्षमता और स्थानीय प्रतिस्पर्धा है, निविदा में बोली लगाने के लिए केवल स्थानीय उद्यम पात्र होंगे, चाहे उन सभी की खरीद का क्रय मूल्य जितना भी हो। (3) जिन वस्तुओं और सेवाओं की खरीद उप–कंडिका 7(2) में शामिल नहीं हो और उनके क्रय का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रु. से कम हो, तो वित्त विभाग की सहमति के अलावे अन्य मामलों में उन सभी की खरीद के लिए वैश्विक निविदा पूछताछ जारी नहीं किया जाएगा। (4) उन सभी मामलों में जहाँ क्रेता इकाई द्वारा इस नीति के तहत वर्णित खरीद अधिमानता से संबंधित मापदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो अन्य कारणों के साथ–साथ ऐसा या तो स्थानीय उद्यमों द्वारा बोली की निविदा की प्रक्रिया में भाग नहीं लेने के मामले हो या खरीद अधिमानता की मार्जिन (अन्तर) से संबंधित मापदण्डों को पूरा करने के अध्यधीन निविदा बोली की

		न्यूनतम प्रस्तुत मूल्य की बराबरी करने में स्थानीय उद्यमों की असमर्थता के मामले हो, उन सभी मामलों में, उसके लिए लिखित में कारण दर्ज करते हुए और नियम संगत तथ्य आधारित सुस्पष्ट आदेश पारित करना अनिवार्य होगा। (5) महज व्यापार और पैकेजिंग के काम में लगे उद्यम, जिनके कार्यों से मूल्यवर्धन नहीं होता है, इस नीति के तहत सुविधा के पात्र नहीं होंगे।
8.	खरीद अधिमानता का अन्तर	
		वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए खरीद अधिमानता का मार्जिन (अन्तर) 15 प्रतिशत होगा।
9.	उद्यमों की विशेष श्रेणी	
		कंडिका–13 के तहत वर्णित विशेष श्रेणी के उद्यमों को किसी क्रेता इकाई के द्वारा अतिरिक्त अधिमानता दी जाएगी। (क) बिहार में अवस्थित एवं संचालित तथा "उद्यम" निबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाई। (ख) स्टार्ट अप (जैसा कि बिहार स्टार्ट–अप नीति, 2022 यथा समय–समय पर संशोधित, में परिभाषित है)। बशर्ते कि विशेष श्रेणी के उद्यम निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करते हों : (1) वे राज्य की विद्यमान नीतियों के तहत अपात्र घोषित नहीं हुए हों, और (2) उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त अच्छी हो।
10.	वस्तुओं की खरीद के लिए खरीद अधिमानता	
		(1) विभाज्य आपूर्तियां – उन वस्तुओं (अनन्य सूची की वस्तुओं को छोड़कर) की खरीद में, जो उप–कंडिका 7 (2) में शामिल नहीं हों और विभाज्य प्रकृति की हों, जिनमें बोली का मूल्यांकन अकेले कीमत के आधार पर किया जाता है, "स्थानीय उद्यम" निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार "गैर–स्थानीय उद्यम" की तुलना में खरीद अधिमानता प्राप्त करेंगे : (क) योग्य पाई गई सभी बोलियों में से न्यूनतम बोली को एल1 कहा जाएगा। अगर एल1 "स्थानीय उद्यम" हो तो 100 प्रतिशत मात्रा के लिए एल1 को आपूर्तिकर्ता के रूप में चुना जाएगा। (ख) अगर एल1 कोई "गैर–स्थानीय उद्यम" हो तो खरीद अधिमानता के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा : (i) 75 प्रतिशत मात्रा के लिए एल1 को आदेश दिया जाएगा। (ii) खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत न्यूनतम बोली लगाने वाले "स्थानीय उद्यम" को शेष 25 प्रतिशत मात्रा के लिए एल1 की कीमत के बराबरी

		के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एल1 की कीमत के बराबर होने की स्थिति में ऐसे "स्थानीय उद्यम" को उस मात्रा के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। अगर न्यूनतम बोली वाला ऐसा "स्थानीय उद्यम" एल1 की कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है या उसे प्रस्तुत मात्रा से कम मात्रा के लिए स्वीकार करता है, तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाले और उससे ऊंची बोली लगाने वाले अगले "स्थानीय उद्यम" को शेष मात्रा के लिए एल1 की कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और आगे इसी अनुरूप संविदा प्रदान की जायेगी। अगर इसके बाद भी कुछ मात्रा "स्थानीय उद्यमों" द्वारा आपूर्ति से बची रह जाती है तो इस शेष मात्रा के लिए भी एल1 बोलीदाता को आपूर्ति आदेश प्रदान कर दिया जाएगा। **टिप्पणी** : अगर एक से अधिक स्थानीय उद्यमों ने एक ही कीमत का उल्लेख किया हो और वे खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंदर हों, तो ऊपर वर्णित मात्रा के लिए आदेश को उनलोगों के बीच बराबर–बराबर बांट दिया जाएगा।
		(2) अविभाज्य आपूर्तियां – उन वस्तुओं (अनन्य सूची की वस्तुओं को छोड़कर) की खरीद में, जो उप–कंडिका 7 (2) में शामिल नहीं हों और विभाज्य प्रकृति की नहीं हों, "स्थानीय उद्यम" को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार "गैर–स्थानीय उद्यम" की तुलना में खरीद अधिमानता मिलेगी : (क) योग्य पाई गई सभी बोलियों के बीच से न्यूनतम बोली को एल1 कहा जाएगा। अगर एल1 "स्थानीय उद्यम" हो तो ऐसे स्थानीय उद्यम को पूरी मात्रा के लिए संविदा दे दी जाएगी। (ख) अगर एल1 कोई "गैर–स्थानीय उद्यम" हो तो खरीद अधिमानता के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा : (i) खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत न्यूनतम बोली लगाने वाले "स्थानीय उद्यम" को एल1 की कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एल1 की कीमत के बराबर होने की स्थिति में ऐसे "स्थानीय उद्यम" को संविदा प्रदान की जाएगी और आगे इसी तरह से निविदा प्रदान की जायेगी। अगर न्यूनतम बोली लगाने वाला ऐसा "स्थानीय उद्यम" एल1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाले अगले "स्थानीय उद्यम" को एल1 की कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और आगे इसी के अनुरूप संविदा प्रदान की

		जाएगी। अगर खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाला कोई भी ''स्थानीय उद्यम'' एल1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो संविदा उप–कंडिका 10(2)(ख)(i) के अनुसार प्रदान की जाएगी। (ii) अगर खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत कोई भी स्थानीय उद्यम नहीं हो या एल1 के कीमत की बराबरी करने में सक्षम नहीं हो, तो 100 प्रतिशत मात्रा के लिए एल1 बोलीदाता को संविदा आदेश प्रदान कर दिया जाएगा।
		(3) अगर निर्माण कार्य (टर्न की संविदाओं सहित) किसी अभिकरण द्वारा टर्न की के आधार पर लिया जाता है, तो उस अभिकरण के लिए अनिवार्य होगा कि वह निर्माण कार्य के लिए आवश्यक कच्चा माल या आवश्यक सामग्री (उद्योग विभाग/संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा कर्णांकित) का न्यूनतम 20 प्रतिशत स्थानीय उद्यमों से खरीदे। तदनुरूप निविदा में शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। बालू, ईंट, गिट्टी आदि रॉयल्टी वाली सामग्रियों को निर्माण संविदा के मूल्य से बाहर रखा जाएगा।
11.	**सेवा की खरीद के लिए खरीद अधिमानता**	
		(1) सेवा की खरीद के मामले में निम्नलिखित मापदंड(डों) को पूरा करने वाले ''स्थानीय उद्यम'' को अधिमानता दी जाएगी : (क) उसे बिहार राज्य में निबंधित (राज्य वस्तु एवं सेवा कर निबंधन सहित) एंव राज्य में कार्यालय की मौजूदगी वाली इकाई होना चाहिए, (ख) उसे बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि से राज्य में कार्यरत होना चाहिए, (ग) उसे बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि का वस्तु एवं सेवा कर विवरणी दाखिल एवं वस्तु एवं सेवा कर भुगतान करने वाला होना चाहिए, (घ) बोली प्रकाशन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष पूर्व की अवधि में उसके द्वारा बिहार राज्य अंतर्गत सृजित कुल रोजगार में 50 प्रतिशत स्थानीय लोग शामिल होने चाहिए, और (ड़) उसको दी गई संविदा के न्यूनतम 50 प्रतिशत मूल्य की सेवा (बीजक के आधार पर) राज्य में निबंधित कार्यालय द्वारा निष्पादित की जाएगी। **अपवर्जन :** (क) उन उच्च तकनीकी या जटिल प्रकृति की सेवाओं के मामले में, जिनके लिए निपुण व्यक्तियों को राज्य के बाहर से लाने की जरूरत हो, ऊपर वर्णित प्रावधान लागू नहीं होंगे। (ख) अपने लिए जरूरी सेवा की गुणवत्ता तय करने के लिए क्रेता इकाई जिम्मेवार होगी और ऊपर वर्णित प्रावधान इसी के अनुरूप लागू होगा। ***टिप्पणी** : यह अपवर्जन उन सेवाओं के लिए लागू नहीं होगा जो गैर–तकनीकी प्रकृति की होंगी।*

		(2) ऊपर के उप–कंडिका 7(2) में वर्णित सेवाओं के अलावे, सेवा की खरीद में, जिनके लिए बोली का मूल्यांकन केवल मूल्य के आधार पर किया जाता है, ''स्थानीय उद्यम'' को निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार ''गैर–स्थानीय उद्यम'' की तुलना में खरीद अधिमानता मिलेगी : (क) योग्य पाई गई सभी बोलियों में से न्यूनतम बोली को एल1 कहा जाएगा। अगर एल1 ''स्थानीय उद्यम'' हो तो एल1 बोलीदाता को पूरी संविदा प्रदान की जाएगी। (ख) अगर एल1 कोई ''गैर–स्थानीय उद्यम'' हो तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने और सबसे कम मूल्य प्रस्तावित करने वाले ''स्थानीय उद्यम'' को एल1 के कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और एल1 की कीमत के बराबर होने की स्थिति में ऐसे ''स्थानीय उद्यम''को पूरी मात्रा के लिए संविदा प्रदान की जाएगी। (ग) अगर ऐसा न्यूनतम बोलीदाता पात्र ''स्थानीय उद्यम'' एल1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाले अन्य ''स्थानीय उद्यम'' को एल1 की कीमत से बराबरी करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा और संविदा इसी के अनुरूप प्रदान की जाएगी। अगर खरीद अधिमानता की मार्जिन के अंतर्गत आने वाला कोई भी ''स्थानीय उद्यम'' एल1 के कीमत की बराबरी नहीं कर पाता है, तो संविदा एल1 बोलीदाता को प्रदान की जाएगी।
12.	**छोटी खरीद के लिए छूट**	
		कंडिका 7, 10 और 11 में मौजूद किसी बात के होते हुए भी 5,00,000 रु. (पांच लाख रुपए मात्र) तक अनुमानित मूल्य वाली खरीद को खरीद अधिमानता से संबंधित प्रावधानों से छूट मिलेगी। हालांकि क्रेता इकाईओं द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि इस नीति के प्रावधानों से बचने के लिए खरीद को टुकड़ों में विभाजित तो नहीं कर दिया गया है।
13.	**विशेष श्रेणी के उद्यमों के लिए अधिमानताएं**	
		बिहार में विशेष श्रेणी के उद्यमों की वृद्धि को सुगम बनाने और स्थानीय उद्यमों को अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिहार में विशेष श्रेणी के उद्यमों को निम्न विहित अधिमानता दी जायेगी : (1) विशेष श्रेणी के उद्यमों को निविदा के सेट मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे और उन्हें अग्रधन राशि/निविदा के लिए प्रतिभूति राशि का भुगतान करने से छूट मिलेगी। (2) विशेष श्रेणी के उद्यमों के लिए वार्षिक बिक्री या कंपनी की आयु एवं अनुभव के मापदंडों में 50 प्रतिशत कमी की जाएगी बशर्ते कि वे आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की तकनीकी

		विशेषताओं को पूरा करते हों। (3) विशेष श्रेणी के उद्यमों को 50 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति राशि ही जमा करानी होगी। हालांकि क्रयादेश पाने के बाद अगर वे बिना उपयुक्त कारण के आपूर्ति करने में असफल होते हैं तो उनके विरुद्ध बिहार वित्त नियमावली के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। (4) वस्तुओं की सूची उपरोक्त उप कंडिका 7 (2) के तहत विशेष श्रेणी के उद्यमों (जिसे "अनन्य सूची" भी कहा जायेगा) से विशेष खरीद के लिए आरक्षित की जाएगी । राज्य की क्रय प्राथमिकताओं के अनुसार इसे संबंधित नोडल विभाग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाएगा। ऐसी वस्तुओं की खरीद सिर्फ विशेष श्रेणी के उद्यमों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के आधार पर की जाएगी। उचित क्षमता एवं प्रतिस्पर्धा की कमी जैसे किसी वैध आधार पर राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचनाओं के द्वारा ऐसी आरक्षित वस्तुओं को "अनन्य सूची" से हटा भी सकती है। (5) सरकारी खरीद में विशेष श्रेणी के उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए संबंधित विभाग या क्रेता इकाईओं द्वारा विशेष श्रेणी के उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम या क्रेता–विक्रेता बैठकें भी आहूत की जा सकती हैं। (6) मनोनयन या सीमित निविदा के आधार पर स्टार्ट–अप इकाइयों से खरीद के लिए विशेष प्रावधान : (क) प्रशासी विभाग के प्रभारी सचिव सभी स्टार्ट–अप इकाइयों को उनके कार्यक्षेत्र में एक साल में कुल 50 लाख रु. (पचास लाख रुपए मात्र) तक उनके कार्य के क्षेत्र में, प्रति स्टार्ट–अप 10 लाख रुपये तक अधिकतम कार्य सीमा के अध्यधीन मनोनयन के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य आवंटन कर सकते है। इस प्रावधान के तहत प्रशासी विभाग को लाभार्थी स्टार्ट–अप इकाइयों के लिए एक साल में 50 लाख रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित रहेगी चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो। एक स्टार्ट–अप अपने पूरे जीवन काल में इस नीति के अन्तर्गत एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। (ख) प्रशासी विभाग 25 लाख तक की वस्तु एवं सेवाओं से संबंधित कार्य हेतु केवल स्टार्ट–अप के मध्य सीमित निविदा का विकल्प चयनित कर न्यूनतम बोलीकर्त्ता को आदेश प्रदान कर सकता है ।
14.	**विशिष्टाओं की आवश्यकता संबंधी अग्रिम सूचना**	
		निविदा आमंत्रित करने वाली नोटिस में न्यूतनम स्थानीय सामग्री और खरीद अधिमानता की मार्जिन को विहित किया जाएगा और खरीद संबंधी किसी खास संव्यवहार के क्रम में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

15.	निविदाओं में ब्योरा	
		क्रेता इकाईयॉं यह देखने का प्रयास करेंगी कि स्थानीय उद्यमों की गुणवत्ता या विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए पात्रता की जो शर्तें आवश्यक हैं, उनसे आगे जाकर लागू की गई वार्षिक संव्यवहार, अग्रधन राशि, कार्य–संचालन के वर्ष, उत्पादन क्षमता और वित्तीय क्षमता जैसे मामलों समेत विभिन्न मामलों पर पात्रता की शर्तें स्थानीय उद्यमियों के लिए अपवर्जन का कारण तो नहीं बन रही हैं जो उनके बिना पात्र होते।
16.	स्थानीय सामग्री का सत्यापन	
		(1) स्थानीय उद्यमों को निविदा या बोली लगाने के समय स्थानीय सामग्री का प्रतिशत बताने की जरूरत होगी और स्थिति के अनुरूप (उत्पादन इकाई, जनशक्ति, बिजली की खपत, कच्चे माल और मौजूद जमीन/भवन संकुलों की संख्या का उल्लेख करते हुए) स्वयं–प्रमाणन उपलब्ध कराना होगा कि प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री स्थानीय उद्यम के लिए आवश्यक स्थानीय सामग्री की जरूरत को पूरा करती है। उन्हें उस स्थान/उन स्थानों का विवरण भी देना होगा जहां मूल्यवर्धन किया जाता है।
		(2) 5 करोड़ रु. से अधिक मूल्य की खरीद की स्थिति में स्थानीय उद्यमों को (कंपनी के मामले में) कंपनी के लेखापरीक्षक द्वारा और (कंपनी से भिन्न उद्यमों के मामले में) पेशेवर कॉस्ट एकाउंटेंट या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की जरूरत होगी जिसमें उत्पादन इकाई, जनशक्ति, बिजली की खपत, कच्चे माल और मौजूद जमीन/ भवन संकुलों की संख्या का उल्लेख करते हुए स्थानीय सामग्री का प्रतिशत दिया गया हो।
17.	शिकायत निवारण	
		इस नीति के कार्यान्वियन से संबंधित शिकायतों पर निर्णय, संबंधित प्रशासी विभाग के प्रभारी सचिव द्वारा लिया जाएगा, जो खरीद इकाई के खरीद से संबंधित शिकायतों की सुनवाई हेतु प्राधिकृत होगा और वह लिखित आदेश पारित करेगा, जिसे विधिवत दर्ज कर शिकायतकर्त्ता सहित सभी सबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।
18.	नीति का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई	
		अगर खरीद अधिमानता नीति का अनुपालन नहीं करने के संबंध में कोई शिकायत मिलती है, तो प्रशासी विभाग जॉंच प्रारंभ कर सकता है और उसके अनुरूप उचित कार्रवाई कर सकता है। (1) अगर बोली के दस्तावेजों में स्थानीय उद्यमों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक या भेदभावपूर्ण कार्रवाइयाँ (अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाली किसी इकाई द्वारा खरीद सहित) शामिल हों, तो उसके संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए क्रेता विभाग के प्रमुख द्वारा छानबीन की जाएगी। उसके बाद क्रेता इकाईयों के

		गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रासंगिक प्रावधानों के तहत प्रशासनिक या अन्य उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। (2) स्वघोषणाओं और लेखापरीक्षक/लेखाकार के प्रमाणपत्रों के स्वतंत्र सत्यापन के लिए रैंडम आधार पर तथा शिकायतों की स्थिति में प्रशासी विभाग (नोडल विभाग के प्रतिनिधियों सहित, जो भी लागू हो) द्वारा आंतरिक और बाहरी विशेषज्ञों को लेकर समितियों का गठन किया जा सकता है। (3) गलत घोषणाएं बिहार वित्त नियमावली के प्रासंगिक प्रावधान के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी जिनके लिए किसी बोलीदाता या उनके उत्तराधिकारियों को विद्यमान नियमों के तहत स्वीकार्य अन्य कार्रवाईयों के साथ–साथ दो वर्षों तक के लिए विवर्जित भी किया जा सकता है। विद्यमान नियमों के तहत निर्दिष्ट तरीके से ऐसी अन्य क्रेता इकाईयों के लिए विवर्जन उत्तरवर्ती प्रभाव से अन्य क्रेता इकाईयों के ध्यान में आने की तिथि से ही प्रभावी हो जाएगा।
19.	**अनुज्ञप्ति/ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौतों के तहत विनिर्माण**	
		अगर उत्पाद का निर्माण बौद्धिक संपदा अधिकार रखने वाले किसी विदेशी विनिर्माता से मिली अनुज्ञप्ति के तहत बिहार में किया जा रहा हो और विदेश में विकसित किसी उत्पाद के देश में निर्माण के लिए कोई प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौता हो जिसमें चरणबद्ध ढंग से स्थानीय सामग्री बढ़ाने के लिए स्पष्ट प्रावधान हो, तो उद्यमों, विनिर्माताओं या बोलीदाताओं को स्थानीय सामग्री की जरूरत की शर्त पूरी करने से छूट देने के लिए नोडल विभाग द्वारा विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
20.	**छूट देने की शक्ति**	
		(1) क्रेता प्रशासी विभाग (अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाली किसी इकाई द्वारा खरीद सहित) सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से लिखित आदेश द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करके,– (क) कंडिका 8 में निर्दिष्ट खरीद अधिमानता की मार्जिन में संशोधन कर सकता है, या (ख) किसी खास खरीद के लिए खरीद अधिमानता से छूट दे सकता है। (2) ऐसे प्रत्येक आदेश की एक प्रति वित्त विभाग और संबंधित नोडल विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। (3) छूट या खरीद अधिमानता की मार्जिन में संशोधन के लिए लिखित आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकार हैं : (क) 5,00,000 रु. से अधिक से 25,00,000 रु. तक – प्रशासी विभाग के सचिव (प्रभारी) (ख) 25,00,000 रु. से अधिक से 1,00,00,000 रु. तक –प्रभारी मंत्री

		(ग) 1,00,00,000 रु. से अधिक – राज्य मंत्रिपरिषद् तथापि, यह प्रावधान कंडिका 11 में दिये गये अपवर्जन के मामले में लागू नहीं होगा।
21.	**राज्य खरीद अधिमानता स्थायी समिति (एसपीपीएससी)**	
		(1) वित्त विभाग द्वारा राज्य खरीद अधिमानता स्थायी समिति का गठन किया जाएगा जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। वित्त विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य–कर विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। मुख्य सचिव द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों सहित अन्य सदस्यों को आवश्यकता के अनुरूप चयनित किया जा सकता है। वित्त विभाग द्वारा नामित संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। (2) राज्य खरीद अधिमानता स्थायी समिति की आवश्यकतानुसार लेकिन तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक होगी। समिति : (क) इस नीति के क्रियान्वयन और उससे उत्पन्न मुद्दों का निरीक्षण करेगी, और क्रेता इकाईओं तथा संबंधित प्रशासी विभाग के लिए अनुशंसाएं करेगी। (ख) इस नीति के अनुपालन का मूल्यांकन और सावधिक अनुश्रवण करेगी। (ग) पर्याप्त गुणवत्ता के साथ स्थानीय प्रतिस्पर्धा की पर्याप्त उपलब्धता की स्थिति में स्थानीय सामग्री की जरूरतों को बढ़ाने / घटाने के लिहाज से उनकी समीक्षा करेगी। (घ) इस नीति की कंडिका–10 में वर्णित स्थानीय उद्यमों से खरीद अधिमानता मार्जिन एवं खरीद के अनुपात / प्रतिशत की समीक्षा कर सकती है । (ङ) इस नीति के अनुपालन और संबंधित विषयों के संबंध में विवरण या विवरणियां पेश करने की मांग कर सकती है। (च) यदि ऐसा लगे की आदेश के क्रियान्वयन के तरीके से किसी / किन्हीं प्रतिबंधात्मक व्यवहारों, कार्टेलाइजेशन या सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है, तो इससे संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन कर सकती है और उपचारी उपायों का सुझाव दे सकती है। (छ) इस नीति के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेगी और क्रय संबंधी मामलों का विषय दो से अधिक विभागों से संबंधित होने पर आवश्यक निर्देश जारी करेगी। (ज) इस नीति से संबंधित कोई अन्य मुद्दा सामने आने पर उस पर विचार कर सकती है।

22.	इस नीति के प्रावधानों में संशोधन / परिवर्तन का अधिकार	
		इस नीति की कंडिका–21 के तहत गठित राज्य खरीद अधिमानता स्थायी समिति की अनुशंसा के आधार पर वित्त विभाग स्थानीय उद्यम से क्रय हेतु इस नीति के कंडिका 6 एवं 10 से संबंधित स्थानीय सामग्री की प्रतिशत तथा क्रय हेतु कुल मात्रा का अनुपात / प्रतिशत की समीक्षा कर सकता है एवं किसी परिवर्तन / संशोधन को अधिसूचित कर सकता है।

नोटः– उक्त नीति के हिन्दी संस्करण में किसी प्रावधान का अंग्रेजी संस्करण से विरोधाभाष होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण के प्रावधान मान्य होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन) 07/8/2024

ज्ञापांकः–एम–4–03 / 2021 8550 / वि० पटना, दिनांक 07-08-2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन) । 07/8/2024

ज्ञापांकः–एम–4–03 / 2021 8550 / वि० पटना, दिनांक 07-08-2024

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन) । 07/8/2024

ज्ञापांकः–एम–4–03 / 2021 8550 / वि० पटना, दिनांक 07-08-2024

प्रतिलिपिः–ई–गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव (संसाधन) ।
07/8/2024